न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र सख्या 47/2022

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी अजमेर

– प्रार्थी

बनाम

1.श्री शंकर लाल कुम्हार पुत्र मांगीलाल निवासी कुम्हार मौहल्ला, सिंगवाल, विजयनगर, जिला अजमेर पुलिस थाना विजयनगर

– अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी नसीराबाद
2. श्री महेन्द्र उपाध्याय अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:आदेश:–

दिनांक 18.01.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि 15.12.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा नृसिंह मंदिर के पास, कोटा रोड, नसीराबाद पर वाहनो में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की सूचना पर मौके पर पहुँचकर जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गई। मौके पर आरजे 01 रेस्टोरंट के सटाकर बने बाडा में एक कोने में बने एक गैरेजनुमा कमरे में मारूति ओमिनी वाहन संख्या आर.जे. 48 यू ए 0139 में लगी गैस किट में घरेलू लाल एलपीजी सिलेण्डर को एक इलेक्ट्रिक रिफिलिंग गैस मशीन से जोड़कर सिलेण्डर से वाहन में गैस भरा जाना पाया गया । मौके पर उपस्थित व्यक्ति श्री राजकमल सांखला पुत्र श्री कैलाश सांखला उम्र 28 वर्ष निवासी नसीराबाद द्वारा यह स्थान गोपाल यादव का होना बताया तथा स्वयं वाहने में गैस भरने का कार्य करना बताया गया । मौके पर उपस्थित व्यक्ति श्री शंकर लाल कुम्हार द्वारा मारूति ओमिनी वाहन संख्या आर.जे. 48 यू.ए. 0139 की आर.सी. पस्तुत की गई जिसके अनुसार शंकर लाल पुत्र मांगीलाल वाहन का मालिक होना पाया गया तथा एक घरेलू लाल

एलपीजी गैस सिलेण्डर से वाहन में गैस भरने के 1200 रूपये राजकमल सांखला को देना बताया गया । मौके पर मारूति ओमिनी वाहन संख्या आर.जे. 48 यू.ए. 0139 के पास एक अन्य घरेलू लाल गैस सिलेण्डर पाया गया। वरवक्त जांच उपस्थित व्यक्तियों द्वारा परिसर से सबंधित कोई किरायामनामा एवं गैस सिलेण्डर से सबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए। वरवक्त जांच उपस्थित व्यक्तियों के पास एल.पी.जी. रिफिलिंग, एल.पी.जी व्यवसाय एवं एल.पी.जी भण्डारण सम्बन्धी कोई अनुज्ञापत्र व अनुमति पत्र नहीं होना पाया तथा यह कृत्य बिना सुरक्षा मानको के आवासीय परिसर में गैस रिफिलिंग करना मानव जीवन के लिए घोर हानिकारक व जाखिमपूर्ण है जिसमें किसी बडी दुर्घटना की प्रबल सम्भावना थी। वक्त जांच अवैध गैस रिफिलिंग कार्य प्रमाणित पाये जाने पर मारूति ओमिनी वाहन संख्या आर.जे. 48 यू.ए 0139 को शंकरलाल कुम्हार से कब्जेराज किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी, पुलिस थाना, नसीराबाद शहर को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द की गई। अतः इस प्रकार अभियुक्तो का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के क्लॉज 4(1) (a) (b) (c) (d) (2) 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में ज़ब्तशुदा मारूति ओमिनी वाहन संख्या आर.जे. 48–यू.ए. 0139 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी 1 जरिये अभि. श्री महेन्द्र उपाध्याय के उपस्थित। इसी दौरान श्री महेन्द्र उपाध्याय ने जरिये अभि. प्रा. पत्र मय वकालतनामा. पेश किया। जो शामिल मिसल है अप्रार्थी स. 1 की ओर से प्रा. पत्र वास्ते जब्तशुदा मारूति ओमिनी **RJ-48-UA-0139** को सुपुर्दगीनामे पर छोडने का प्रस्तुत किया गया। प्रकरण सुनवाई दौरान अप्रार्थी सं.1 स्वयं व उनके अभि. उपस्थित आये।

पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी सं. 1 की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस कथन किया कि विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा नृसिंह मंदिर के पास, कोटा रोड, नसीराबाद पर वाहनो में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की सूचना पर मौके पर पहुँचकर जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गई। मौके पर आरजे 01 रेस्टोरेंट के सटाकर बने बाडा में एक कोने में बने एक गैरजनुमा कमरे में मारूति ओमिनी वाहन संख्या आर.जे. 48 यू ए 0139 में लगी गैस किट में घरेलू लाल एलपीजी सिलेण्डर को एक इलेक्ट्रिक रिफिलिंग गैस मशीन से जोडकर सिलेण्डर से वाहन में गैस भरा जाना पाया गया । मौके पर उपस्थित व्यक्ति श्री राजकमल सांखला पुत्र श्री कैलाश सांखला उम्र 28 वर्ष निवासी नसीराबाद द्वारा यह स्थान गोपाल यादव का होना बताया तथा स्वयं वाहने में गैस भरने का कार्य करना बताया गया। मौके पर उपस्थित व्यक्ति श्री शंकर लाल कुम्हार द्वारा मारूति

ओमिनी वाहन संख्या आर.जे. 48 यू.ए. 0139 की आर.सी. प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार शंकर लाल पुत्र मांगीलाल वाहन का मालिक होना पाया गया तथा एक घरेलू लाल एलपीजी गैस सिलेण्डर से वाहन में गैस भरने के 1200 रूपये राजकमल सांखला को देना बताया गया। मौके पर मारूति ओमिनी वाहन संख्या आर.जे. 48 यू.ए. 0139 के पास एक अन्य घरेलू लाल गैस सिलेण्डर पाया गया। वरवक्त जांच उपस्थित व्यक्तियों द्वारा परिसर से सबंधित कोई किरायामनामा एवं गैस सिलेण्डर से ससबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए। वक्त जांच उपस्थित व्यक्तियों के पास एल.पी.जी. रिफिलिग, एल.पी.जी व्यवसाय एवं एल.पी.जी भण्डारण सम्बन्धी कोई अनुज्ञा पत्र व अनुमति पत्र नहीं होना पाया तथा यह कृत्य बिना सुरक्षा मानको के आवासीय परिसर में गैस रिफिलिंग करना मानव जीवन के लिए घोर हानिकारक व जोखिमपूर्ण है जिसमें किसी बडी दुर्घटना की प्रबल समभावना थी। वक्त जांच अवैध गैस रिफिलंग कार्य प्रमाणित पाये जाने पर मारूति ओमिनी वाहन संख्या आर.जे. 48 यू.ए 0139 को शंकरलाल कुम्हार से कब्जेराज किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी, पुलिस थाना, नसीराबाद शहर को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द की गई। अतः इस प्रकार अभियुक्तो का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के क्लॉज 4(1)(a)(b) (c)(d)(2) 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा मारूति ओमिनी वाहन संख्या आर.जे. 48–यू.ए. 0139 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे। लिहाजा जब्तशुदा मारूति ओमिनी RJ-48-UA-0139 को राजसात करने के आदेश प्रदान करावे। जवाब में अप्रार्थी सं 1 के अभि. ने निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र 6 ए मुकदमें के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खडे रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त मारूति वैन RJ-48-UA-0139 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित इसके अनुसरण में वाहन उनको सुपुर्दगीनामें पर सौपे जाने का आदेश प्रदान कराने का अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक नृसिंह मंदिर के पास, कोटा रोड, नसीराबाद पर अवैध गैस रिफिलिंग की मिली शिकायत पर की गई जांच दौरान मौके पर मारूति ओमिनी सं. RJ-48-UA-0139 के रेस्टोरेंट के सटाकर बने बाडा में एक कोने में बने गैरेजनुमा कमरे में उक्त वाहन में लगी गैस किट में घरेलू लाल एलपीजी सिलेण्डर को एक इलेक्ट्रिक रिफिलिंग गैस मशीन से जोड़कर सिलेण्डर से वाहन में गैस भरा जाना पाया गया। उस समय वैन मालिक श्री शंकर लाल स्वंय मौके पर मौजूद था उसकी मौजूदगी में घरेलू गैस सिलेण्डर की गैस को उक्त रिफिलिंग मशीन के जरिये उपरोक्त मारूति वैन में भरी जाकर अवैध कृत्य किया जा रहा था इससे उपरोक्त

वाहन में घरेलू गैस सिलेण्डर की गैस का अवैध उपयोग किया जाना/ होना स्पष्ट है इस प्रकार अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर कीं गैस को रिफिलिंग मशीन द्वारा मारूति वैन के किट में भरे जाने मारूति वैन RJ-48-UA-0139 वजह सबूत के कब्जेराज लिया गया। इसके लिये अप्रार्थी सं. 1 ने मारूति वैन को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। उपरोक्त स्थिति के तहत अप्रार्थी स. 1 द्वारा एल.पी.जी. (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ंड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के खण्ड सं. 3(1) (C) 4(1) (a) (e) तथा 6 का उलंघन स्पष्ट है जो आवश्यक वस्तु अभि. 1935 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त मारूति ओमिनी स. RJ-48-UA-0139 के लगी गैस किट में अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफिलिग मशीन को सहायता से गैस भरवाने/उपयोग के साबित होने के फलस्वरूप रूपये 25,000/—अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र का जुर्माना किया जाता है, सम्बन्धित वैन मालिक द्वारा जुर्माना राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो स्वामित्व बाबत् सन्तुष्टि के सम्बन्धित को सुपर्द कर दिया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.01.2023 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर